संख्या :– 987 /उन्तीस/04–2/2005

प्रेषक,

बी0पी0 पाण्डेय
सचिव, पेयजल,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून।
2. मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तरांचल जल संस्थान,
देहरादून।
3. निदेशक,
स्वजल परियोजना,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग

देहरादून, दिनांक 26 मई, 2005

विषयः 73 वें संविधान संशोधन के अनुसार पेयजल एवं स्वच्छता कार्यों के निष्पादन हेतु पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए पेयजल निगम एवं जल संस्थान से कार्मिक उपलब्ध कराने के सम्बंध में।

महोदय,

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को पेयजल विभाग से सम्बंधित प्रशासनिक, कार्यकारी एवं वित्तीय अधिकारों एवं दायित्वों का संक्रमण शासनादेश सं0 2121/उन्तीस/04–2/2004 दिनांक 17 अगस्त 2004 द्वारा किया गया है। उक्त शासनादेश में व्यवस्था की गई है कि उत्तरांचल पेयजल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान द्वारा निर्मित एकल ग्राम पेयजल योजनाएं एवं हैंड पम्पों से सम्बंधित परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण ग्राम पंचायतों को किया जायेगा, जिनके द्वारा भविष्य में इन योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण किया जायेगा।

2– उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायत को प्रशासनिक, कार्यकारी एवम् वित्तीय अधिकारों को संक्रमित करने के कारण, ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यों के निष्पादन हेतु उत्तरांचल पेयजल निगम तथा उत्तरांचल जल संस्थान से कार्मिकों को

उपलब्ध कराये जाने की तत्काल आवश्यकता के दृष्टिगत, मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जाए।

(1) उत्तरांचल पेयजल निगम तथा जल संस्थान हस्तांतरित किए जाने वाले कार्मिकों को चरणबद्ध तरीके से ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करेंगे। वर्तमान में लगभग 2727 योजनाएं जल संस्थान द्वारा पूर्व में ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की जा चुकी हैं।

अतः इनसे सम्बंधित अंशकालिक चौकीदार तत्काल प्रभाव से ग्राम पंचायतों के अधीन कर दिए जायें। शेष एकल ग्राम योजनाओं से सम्बंधित कार्मिकों को ग्राम पंचायतों को सौंपे जाने हेतु एक कार्ययोजना शीघ्र तैयार कर शासन को उपलब्ध कराई जाये। स्मरणीय है कि कार्मिकों का हस्तांतरण केवल ग्राम पंचायत स्तर पर ही नहीं होना है अपितु ब्लाक व जिला स्तर भी एकल ग्राम पंचायतों की संख्या व कार्यभार के अनुपात में किया जाना है। अतः तदानुसार अधिकारियों के हस्तांतरण की भी कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत कर दी जाये। एकल ग्राम योजनाओं हेतु हर स्तर के समस्त कार्मिक/अधिकारी पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ष 2008 तक कर दिए जायेंगे।

(2) एकल ग्राम योजनाओं के अन्तर्गत पेयजल निगम एवं जल संस्थान के ग्राम स्तर के कार्मिक ग्राम प्रधान/उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति के अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करेंगे।

(3) जिला स्तर पर सेक्टर रिफार्म सिद्धान्त पर करवाए जा रहे कार्यों से सम्बंधित पेयजल निगम एवं जल संस्थान के अधिकारी जिला पंचायत अध्यक्ष के मार्गनिर्देशन पर कार्य करेंगे।

(4) ग्राम पंचायतों/उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप–समितियों को कार्मिक दिए जाने से पूर्व नई व्यवस्था में उनके दायित्वों व कार्यप्रणाली की जानकारी भी प्रशिक्षण के माध्यम से कार्मिकों को दी जाये। इन प्रशिक्षणों में ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को भी साथ में प्रशिक्षण दिया जाये। प्रशिक्षण के कार्य को सम्पादित करने का दायित्व परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल

परियोजना का होगा। नियमित कार्मिकों को पंचायतों को हस्तांतरित करते समय यह ध्यान में रखा जाये कि जिन कार्मिकों की सेवानिवृत्ति निकट भविष्य में है उन्हें पंचायतों को न दिया जाये, हस्तांतरित किए जाने वाले कार्मिकों का सेवा काल कम से कम 5 वर्ष शेष होना चाहिए। अंशकालिक चौकीदार/दैनिक वेतनभोगी कार्मिकों पर यह लागू नही हैं।

(5) कार्मिकों के हस्तांतरण में यह भी ध्यान में रखा जाये कि सर्वप्रथम स्वेच्छा से जाने वाले कार्मिकों को ही पंचायतों को दिया जाये तदोपरान्त यदि आवश्यकता पड़े तो वरिष्ठता के क्रम में पंचायतों को भेजा जाये। ग्राम पंचायतों/उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप–समितियों को कार्मिक दिए जाने के उपरान्त उनके वेतन इत्यादि की व्यवस्था करने का दायित्व सम्बन्धित अधिष्ठान (उत्तरांचल पेयजल निगम/उत्तरांचल जल संस्थान) का होगा और वे वेतन के लिए पर्याप्त धनराशि माह पूर्ण होने से पूर्व ग्राम पंचायतों/उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप–समितियों के सम्बन्धित पेयजल खाते में जमा करवायेंगे।

(6) इस प्रकार हस्तांतरित कार्मिकों की गोपनीय प्रविष्टियाँ आदि उत्तरांचल पेयजल निगम, उत्तरांचल जल संस्थान और स्वजल परियोजना के सम्बन्धित जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई को सौपी जायेंगी। इन गोपनीय प्रविष्टियों का पर्यवेक्षण ग्राम प्रधान द्वारा किया जायेगा और स्वीकृति स्वजल परियोजना के सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा दी जायेगी। अतः ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किए गये कार्मिकों की सूचना नियमित रूप से स्वजल परियोजना को भी दी जाये।

(7) पंचायतों के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति सम्बन्धित पंचायत राज संस्था द्वारा दी जायेगी और अर्जित अवकाश की स्वीकृति जिला परियोजना प्रबन्धन द्वारा कर्मी के विकल्प की व्यवस्था करते हुए दी जायेगी।

(8) पंचायत के अधीन कर्मियों के विरूद्ध आवश्यकता पड़ने पर कार्यवाही सम्बन्धित पंचायती राज संस्था द्वारा प्रारम्भ की जायेगी व सम्बन्धित जिला

परियोजना प्रबन्धन इकाई को संस्तुति प्रेषित करने पर उक्त कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(9) उपरोक्त व्यवस्था एकल ग्राम योजनाओं के अन्तर्गत आच्छादित ग्रामों के लिए ही लागू होगी।

कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(बी0पी0 पाण्डेय)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या 987 /उन्तीस/04-2/2005 तददिनांक मई, 2005

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/पेयजल मंत्री, उत्तरांचल शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 पेयजल मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
3. स्टाफ आफिसर ,मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को अपर मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
6. मण्डलायुक्त कुमायूँ/गढवाल मण्डल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
8. निदेशक, पंचायती राज, उत्तरांचल, देहरादून।
9. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
10. समस्त जिला परियोजना प्रबन्धक, स्वजल परियोजना, उत्तरांचल।
11. निदेशक, एन0 आई0 सी0 देहरादून।
12. वित्त अनुभाग-3।
13. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

संख्या–99 VI-1/2005

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
नैनीताल।

देहरादून : दिनांक 29 मई, 2005

संस्कृति अनुभाग :

विषयः–लोक संस्कृति संग्रहालय गीताधाम, भीमताल जनपद नैनीताल के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संस्कृति निदेशालय के पत्र संख्या–455–दिनांक 12 अगस्त, 2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संग्रहालय के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष–2005–06 के लिए रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के आधार पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिन मदों के लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। यहा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है।

3– किसी भी मद में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, भंडार क्रय नियम तथा मितव्ययता सम्बन्धी समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उपकरणों का क्रय डी0जी0एस0एण्ड0डी0 की दरों पर किया जायेगा और ये दरें न होने की स्थिति में टैंडर (कोटेशन) विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये ही किया जायेगा।

4– उक्त परियोजना का प्रस्ताव भारत सरकार संस्कृति मत्रांलय को भी अनुदान स्वरूप भेजा गया है। अगर भारत सरकार से अनुदान स्वीकृत हो जाता है तो राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुदान वापस कर लिया जायेगा।

5– संस्कृति विभाग उत्तरांचल को इस संग्रहालय की सहायता अथवा सहयोग की दशा में लोक संस्कृति संग्रहालय द्वारा पूर्व सहयोग दिया जाएगा व इस अनुदान का मदवार विवरण जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

6– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–आयोजनागत–00–102–कला एवं संस्कृति का सम्वर्द्धन–03–स्वायतशासी संस्थाओं को अनुदान–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामक मद के नामें डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या– 210/वित्त अनुभाग–2/2005, दिनांक 26 मई में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– VI-I/2005, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपूर रोड ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त विभाग।
5– निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।